मुकुल मुद्गल, सी.जे. और अजय तिवारी,जे. के समक्ष

करनाल सहकारी चीनी

मिल्स लिमिटेड और अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

राज्य सूचना आयुक्त एवं

दूसरा,-प्रतिवादी

2010 के एलपीएएनओ. नंबर. 122 में

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर. 17686

8 सितम्बर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 226-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-एस. 2(एच) - चीनी मिल का प्रबंधन एक राज्य सिविल सेवा अधिकारी द्वारा किया जाता है- क्या चीनी मिल2005 अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है - माना जाता है, हां - अपील खारिज कर दी गई, एकल न्यायाधीश के आदेश ने चीनी मिलों की याचिका खारिज कर दी और राज्य सूचना आयुक्त ने मिलों पर कब्जा कर लिया जानकारी देने के लिए बाध्य है।

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता-चीनी मिल का प्रबंधन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जो एक राज्य सिविल सेवा अधिकारी है। अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता-मिल में सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता/निवेश/इक्विटी भागीदारी की सीमा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह स्पष्ट है कि यदि यह जानकारी दी गई तो अपीलकर्ताओं के रुख के खिलाफ हो सकती है। इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

(पैरा7)

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पी.के. मुटनेजा।

एस. राणा, अतिरिक्त. ए.जी.हरियाणा,तोर प्रतिवादी क्रमांक 1..

जशनदीप एस. संधू, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

मुकुल मुद्गल, मुख्य न्यायाधीश

(1) यह अपील राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के

खिलाफ दायर की गई है जिसमें उसने कहा था कि अपीलकर्ता
चीनी मिल प्रवेश का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत
एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।

(2) अपीलकर्ता-चीनी मिल ने अधिनियम के तहत कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया था। राज्य सूचना आयुक्त ने माना कि अपीलकर्ता इसे सार्वजनिक प्राधिकरण मानते हुए ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिका खारिज कर दी गई है, अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

(3) अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को सार्वजनिक प्राधिकारी मानने में गलती की है, अधिनियम की धारा 2 (h) इस प्रकार है: -

"(h) "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ है स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्थान-

(ए) संविधान द्वारा या उसके तहत;

(बी) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(सी) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(डी) उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है

(i) स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्था;

(ii) गैर-सरकारी संगठन उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं।

(4) अपीलकर्ताओं के वकील ने आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता- शुगर मिल्स न तो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय है और न ही यह पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा।

(5) विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि जहां तक फंडिंग का संबंध है, अपीलकर्ताओं ने सरकार की शेयर-धारिता या किसी अन्य वित्त के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है जो कि प्रदान किया गया हो सकता है

सरकार। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा कि स्वयं एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के बाद, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।

(6) अपीलकर्ताओं के वकील ने महाप्रबंधक, **किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर यूपी बनाम सत्रुघन निषाद और अन्य (1) में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, सीडब्ल्यूपी संख्या में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। 1992 का 6226, **राज पाल और अन्य बनाम कमल को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड कमल और अन्य,** 11 नवंबर 1992 को फैसला, और **दत्तप्रसाद कंपनी ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य मुख्य सूचना में कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला आयुक्त, (2).** जहाँ तक पहले दो निर्णयों का प्रश्न है, वे संविधान के अनुच्छेद 12 के परीक्षण से संबंधित हैं। इस प्रकार, वे अधिनियम की धारा 2 के दायरे को निर्धारित करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं जहां वाक्यांश 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है न कि 'राज्य'। तीसरा निर्णय एक सहकारी समिति के संबंध में था जो पूरी तरह से एक निजी गृह निर्माण समिति थी। आरोप यह लगाया गया कि चूँकि सभी सहकारी समितियाँ रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के अंतिम नियंत्रण में थीं, इसलिए वे सभी सार्वजनिक प्राधिकरण होंगी। उक्त समाज में सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी. इन्हीं परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि सोसायटी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

(7) हमारे विचार में, वर्तमान मामला इस कारण से स्पष्ट रूप से अलग है कि यहां अपीलकर्ता-चीनी मिल का प्रबंधन एक प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जो एक राज्य सिविल सेवा अधिकारी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता-मिल को सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता/निवेश/इक्विटी भागीदारी की सीमा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह स्पष्ट है कि यदि यह जानकारी दी गई तो अपीलकर्ताओं के रुख के खिलाफ हो सकती है। इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और परिणामस्वरूप, यह अपील लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

R.N.R.

(1) (2003) 8 S.C.C. 639
(2) 2009 (5) R.C.R. (Civil) 833

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा